पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक: प.11( )सा. प्रशासन / ई–निविदा / 2022–2023 / 16676 दिनांक: 10/11/2022

ई– निविदा सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी सेवाओं हेतु
(सुरक्षा प्रहरी सेवाओं हेतु संविदा)

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी कार्य ठेके पर दिये जाने हेतु निविदा।

विषय : ई–निविदा सूचना संख्या **03 / 2022–23**

निविदा प्रपत्र डाऊनलोड कर ऑन लाईन प्रस्तुत करने की दिनांक व समय : दिनाँक 10.11.2021 (2.00 PM)

ऑन लाईन तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय : 21.11.2022 (2.00PM) बजे तक

निविदा संबंधी मूल डी.डी. प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय : दिनाँक 21.11.2022 (3.00 PM) बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय : दिनाँक 22.11.2022 (3.00PM)

निविदा जारी करने हेतु फर्म का नाम :– ....

अनुमानित लागत : 50,00000 (पचास लाख रूपये मात्र)

अमानत राशि : 100000 (एक लाख रूपये मात्र)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

प.11( )सा. प्रशासन/ई–निविदा/2022–2023/ 14676 दिनांक 10/11/2022

ई–निविदा प्रपत्र 03/2022–23

(तकनीकी बिड)

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी कार्य ठेके पर दिये जाने हेतु निविदा।

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम..
2. डाक का पता...
   ....
3. फोन/मोबाईल नंबर..
4. ई–मेल..
5. खाता संख्या...
6. बैंक का नाम...
   IFSC Code...

7. किसको सम्बोधित किया –कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर।

8. सन्दर्भ : आपकी ई–निविदा सूचना क्रमांक 03/2022–23 दिनांक 10.11.2022

9. हम कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक 10.11.2022 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

10. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजों के साथ भरनी होगी :–

क.सं.	विवरण	रजि0 सं0	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इन्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

11 पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सी को कम से कम तीन वर्षों का राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशाषी निकायों में कार्मिक उपलब्ध कराने का अनुभव का प्रमाण–पत्र।

12 एजेन्सी अपने संविधान की प्रति जिसमें एजेन्सी के मूलभूत उद्देश्य/लक्ष्य अंकित हो निविदा के साथ संलग्न करें। (यदि हो तो संलग्न करें)

13 फर्म का टर्न ओवर 50 लाख रूपये पिछले तीन वर्षो का औसत तथा तीन वर्ष की सनदी लेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट जिसमें फर्म की वित्तीय स्थिति के प्रपत्र संलग्न हो, को प्रस्तुत करना होगा।

14 ठेकेदार को केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/ राज्य सरकार के कार्यालय/पीएसयू/ विश्वविद्यालय भवनों में सफाई कार्य व्यवस्था का गत तीन वर्षों में कम से कम किसी एक वर्ष में रूपये 25 लाख की लागत का एकल कार्य करने का का अनुभव होना चाहिए। संबधित विभाग/संस्था से प्रमाणित अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

15 तकनीकी बोली में क्वालिफाईड/सफल बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली/प्राईस बिड खोली जायेगी।

16 ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ –पत्र (100 रूपये के नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर)

17 कार्य करने हेतु कुशलता के स्तर के अनुसार अनुभवी कार्मिक उपलब्ध कराने का शपथ पत्र 100/– नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर (ANNEXURE- B)

18 बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या ....दिनांक.. ....(जारी कर्ता बैंक का नाम) रूपये 100000/–.के लिए **अमानत राशि** के पेटे संलग्न है। जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो।

19 बैंक ड्राफ्ट सं0 ....दिनांक ....राशि 1000/– .... (जारी कर्ता बैंक का नाम) जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो (**निविदा शुल्क के पेटे संलग्न**)

20 बैंक ड्राफ्ट सं0 ....दिनांक ....राशि 1000/–... (जारी कर्ता बैंक का नाम) जो MD RISL, Jaipur को देय हो वास्ते (**प्रोसेसिंग फीस के पेटे संलग्न**)

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची/चैक लिस्ट

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण	क्रमांक अंकित करे	संलग्न पृष्ट संख्या
1	Details of Bidder		
	(i) Name		
	(ii) Address		
	(iii)Phone No. (a) OfficeResidence (iv)Mail ID		
2	Company may submit Authorizations Letter to sign or participating in tender.		
3	PAN No.		
4	GST Registration No.		
5	Labour Licence 1970 No.		
6	EPF Registration No.		
7	ESI Registration No.		
8	Firm/Co-Operative 1958 or Indian Partnership act 1932 or Indian Company Act Registration No.		
9	Bank A/C Details		
10	(i) Account No.		
11	(ii) Bank Name and Branch		
12	Proof of Payment of Tender fee, Bid Security & RISL Processing Fee		
13	ब्लेक लिस्टेड न होनें व निविदा घोषणा प्रपत्र (100 रू. के स्टाम्प पर)		
14	अनुभव प्रमाण–पत्र		
15	पिछले तीन वर्षो का औसत टर्न ओवर रूपये 50 लाख (Balance Sheet & IT Returns)) & Single order of Rs 25 Lakhs similar work execution in Central/State govt /autonomous body /govt university		
	(i) Year 2019-20		
	(ii) Year 2020-21		
	(iii) Year 2021-22		
16	Technical Undertaking		
17	Financial Undertaking		
18	Annexure A		
19	Annexure B		
20	Annexure C		
21	Annexure D		
22	Form No. 1		

निविदादाता के हस्ताक्षर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232503

Instruction to Bidders for Online Bidding (E-tendering)

Information to be disseminated to prospective bidders regarding online Bidding.

1-	The Bid document can be downloaded from web site http://eproc.rajasthan.gov.in & submitted online in electronic format on same web site.
2-	Office Address :- Office of **Registrar, Pandit deendayal Upadhayay Shekhawati University, Sikar** **Phone No : 01572 232503** **Email : reg.shekhauni@gmail.com**
3-	To participate in online Bids, Bidders will have to produce Digital Signature Certificate (type II or type III) as per information Technology Act-2000 using which they can sign their TCS safe crypt, N code etc. Or they may contact e- procurement Cell Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance : Bidder who already have a valid Digital Certificate need not require to procure a new Digital Certificate contact No. : 0141-4022688 (Help desk 10 Am to 6 Pm on all working days) E Mail : eproc@rajasthan.gov.in address: e- Procurement Cell, RISL, Yojna bhawan, tilak Marg, C-Scheme, Jiapur.
4-	Before electronically submitting the Bid, it should be ensured that all Bid papers including conditions of contract etc. are Digitally signed by the bidder and filled up as per the bid guidelines.
5-	Training for the bidders on the usage of e-tendering system is also being arranged by RISL on regular basis. Bidders interested for training may contact e- procurement Cell, RISL for booking the training slot.
6-	Bidders are also advised to refer "Bidders mannul" available under "Downloads" section for further details about the e-tendring process.
7-	RISL Processing fees Rs. 1000 As per bid document [in addition to Bid form Fees & Bid Security (EMD)] will be charged .
8-	**The following all document must be attached with Technical Bid (First Cover) failing which Bid will be out rightly rejected.** a. Scanned copies of DD/Bankers Cheques of Bid fee, Processing fee& Bid Security Declaration b. Scanned copies of Bid document form along with conditions of tender, Special Terms & conditions & demanded certificates duly signed and sealed. c. GST Registration certificate, GST declaration (as per Annexure 2), Copy of GSTR- and GSTR-3b up to due date d. **Pan Card Copy.** e. should attach annual financial turnover of last 3 financial years duly certified by a Chartered Accountant) & Single order of Rs 25 lakhs similar work execution in Central/State govt /autonomous body /govt university in last 3 financial years. f. Any other documents which the bidder wants to submit and/or any document as per tender. In absence of the above or wrongly placing the required documents in any other envelope or not mentioning the desired information at the specified place/ column, the bid will not be considered and will be rejected.
9-	Incomplete & conditional bid in any respect will be rejected without any information.
10-	The Registrar Pandit Deendayal Upadhayay Shekhawati University, Sikar reserve the right to reject all/ any part of bid received from the firms/ Bidders without assigned any reason there of.

Registrar

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232503

Important

A. Eligibility Criteria for Bidders :-

Sealed tenders are invited under Two Bid system (Part-1 Technical Bid and Part-II : Financial Bid) form पंजीकृत व अनुभवी बोलीदाता / संवेदक With the following criteria :-

1. Bidder must be a Properietary/Partnership firm/Limited Company/Agency/Society legally constituted or registered under relevant Act.
2. The Bidder should have the license of Minimum 150 Persons at the time of bid submission under the contract Labour (Regulation & Abolition) Act. 1970.
3. The Bidder must be registered with EPFO, ESI and such other Tax Authorities as income tax and for which the agency has to submit necessary documents such as PAN and GST Registration etc.
4. The Bidder must have an average annual turnover of Rs. 50.00 Lacs or more only during the last three financial years (2019-20, 2020-2021 and 2021-22) in the books of accounts. For this bidder submit balance sheet and I.T. Return) & Single order of Rs 25 lakhs similar work execution in Central/State govt /autonomous body /govt university.
5. The Bidder must have experience of atleast three years of providing manpower in the offices of Central govt./State govt/PSU/Govt Universities.
6. The bidder must submit an undertaking that the Man Power agency has not been black listed and no case is pending with the police or in court of law against their name.
7. Tender fees 1000/- (in the form of Bankers Cheque/demand draft in favour of Registrar, Pandit deendayal Upadhayay Shekhawati University, Sikar and RISL Processing fee 1000/- (by way of banker cheque/demand draft in favour of MD RISL, Jaipur) to submitted Physically at the office of **Registrar, Pandit deendayal Upadhayay Shekhawati University, Sikar** Scan copy of paid amount must be uploaded online in technical bid. (for detail procedure refer terms & condition of tender document.)
8. All the documents as stated above towards eligibility must be self-attested & stamped and attached to the Technical Bid.
9. Financial tender will be opened only for the bidders who are successful in the technical tender.
10. The Technical Bid Check list is part of this Tender. Therefore, it is Mandatory to attach all the records/documents required in it along with the Technical Tender, otherwise the Tender can be cancelled.

B. Pre Bid Meeting :-

A pre bid meeting will be held on date 17-11-2022 at 11.00 AM in University for seeking clarification on the tender conditions if any interested bidders are advised to participate in the pre-bid meet and survey the institute and offer.

C. Scope of work of the contractor :-

The Contractor shall have to provide the manpower in the institute at an estimated cost of Rs. 50.00 Lacs approximately per annum which may increase or decrease as per actual need.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाषनं.: 01572-232503

क्रमांकः प.11( )सा. प्रशासन / ई–निविदा / 2022–2023 / 14676 दिनांक 10/11/2022

सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी हेतु ई–निविदा प्रपत्र-वित्तीय बिड

ई–निविदा कमांक– 03 / 2022–2023

1. निविदादाता / फर्म का नाम व पता : ....

2. सेवा का प्रकार :– विश्वविद्यालय भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी एवं सुपरवाइजर उपलब्ध कराने **हेतु** वित्तीय बिड में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में ऑनलाइन BOQ में प्रस्तुत की जानी है :-

कसं	सेवा का प्रकार–	सुरक्षा प्रहरी को देय मासिक पारिश्रमिक (मकान किराए भत्ते सहित) जो की REXCO / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम ना हो	ई .एफ.पी. दरप्रतिशत (13%)	ई .एस.आई. दरप्रतिशत (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई) राशि रूपये में बोलीदाता को अंकन करना है	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा प्रहरी	REXCO / राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर	REXCO / राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	REXCO / राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा		
2	सुपरवाइजर दिन एवं रात्रि हेतु (जो कि जेसीओ या समकक्ष पद की योग्यता एवं अहर्ता रखते हो)	REXCO / राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर	REXCO / राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	REXCO / राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा		

नोटः– 1 उपरोक्त BOQ के अन्तर्गत निविदादाता को कॉलम संख्या 6 में राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई) **अंकित कर अपनी दर प्रस्तुत करनी है।**

2 संवेदक/बोलीदाता द्वारा सुरक्षा प्रहरी को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

3 (A) वित्तीय बोली में समान दरें प्राप्त होने पर कमेटी को किसी बोलीदाता की दरों को अनुमोदित करने या नही करने का पूर्ण अधिकर होगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय कमेटी का होगा जो सर्वमान्य होगा। बोली कमेटी किसी भी शर्त हेतु आंशिक/पूर्ण छूट (Relaxation) देने में सक्षम होगी। RTPP Act 2012की धारा 2(13) के अनुसार उपापन समिति द्वारा बिना किसी वैध प्रतिफल के न्यूनतम बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। विश्वविधालय से संबंधित अत्यन्त आवश्यक सेवाये होने के कारण अलाभप्रद व अव्यावहारिक बोली स्वीकार नही की जायेगी। निविदादाता सर्विस चार्ज भरते समय आयकर TDS की कटौतियो का ध्यान रखेगें।

(B) शर्त संख्या 3(A) की अनुपालना नहीं की जाने पर बोलीदाता की बोली पर विचार नहीं किया जायेंगा।

(C) वितीय बोली में समान दरें प्राप्त होने पर कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा। इस संबंध में बोलीदाता के टर्नऑवर, अनुभव व स्थानीयता को प्राथमिकता दी जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता द्वारा तकनीकी पात्रता हेतु आमंत्रित निविदा के प्रतिबंध एवं शर्ते

1. निविदा उन फर्मों/व्यवसाइयों द्वारा हो जो या तो उन वस्तुओं/कार्यो आदि के लिए रजिस्टर्ड/अनुमोदित प्रदाय हो या उनके द्वारा जो निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहे हैं, दी जानी चाहिये।

2. फर्म का पिछले तीन वर्षो में औसत वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। ठेकेदार को केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/ राज्य सरकार के कार्यालय/पीएसयू/विश्वविद्यालय में सुरक्षा कार्य व्यवस्था का गत तीन वर्षों में कम से कम किसी एक वर्ष में रूपये 25 लाख की लागत का एकल कार्य करने का का अनुभव होना चाहिए। संबधित विभाग/संस्था से प्रमाणित अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

3. निविदादाता को जॉब बेसिस पर सुरक्षा कार्य हेतु प्रति सुरक्षा प्रहरी एवं सुपरवाइजर प्रति 8 घंटे की पारी के लिए प्रतिमाह की दर का अंकन ठव्क में पृथक–पृथक करना होगा।

4. निविदादाता का गत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 50 लाख रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए । निविदादाता को कार्य आवंटन होने पर सीकर में स्थानीय कार्यालय स्थापित कर साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

5. विशेष परिस्थितियों में जब पूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं हो पा रहें हैं तो राज्य सरकार द्वारा देय दरों पर होमगार्ड कुलसचिव से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लगाये जा सकते हैं।

निविदा की कार्यावधि

6. वर्तमान में सुरक्षा प्रहरी प्रदायगी की अवधि एक वर्ष के लिए है । निविदादाता की सेवाएँ संतोषप्रद होने पर परस्पर सहमति से छः माह अथवा नवीन निविदा अनुमोदित होने (दोनों में जो भी पहले हो) तक के लिये करार की अवधि बढाई जा सकती है ।

निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले सुरक्षा प्रहरियों की शर्तें एवं कार्य का विवरण

7. वर्तमान में 40 सुरक्षा प्रहरी की आवश्यकता है जिसे किसी भी समय घटाया या बढ़ाया जा सकता है । विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रहरियों की व्यवस्था आदि की देखरेख के लिए कुलसचिव के निर्देशानुसार सुरक्षा प्रभारी जिम्मेवार होंगे। वर्तमान में मुख्य कुलानुशासक सुरक्षा प्रभारी हैं।

8. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा प्रहरी अपेक्षाकृत युवा उम्र REXCO/राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार शारिरिक व मानसिक रूप से दक्ष होने चाहिऐ। निविदादाता द्वारा दर अनुमोदन उपरांत उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरियों की विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुरक्षा मापदंडों के सन्दर्भ में स्क्रीनिंग होने के पश्चात उनके द्वारा सेवाएं प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय दिया जाएगा। तदनुसार प्रत्येक सुरक्षा प्रहरी को एक परिचय पत्र जिस पर सुरक्षा प्रहरी का नाम, उम्र, पता, आधार कार्ड नम्बर तथा मोबाईल नम्बर आदि विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा सभी सुरक्षा कर्मियों को चैक इन एवं चैक आउट आधार पर फेशियल पहचान/ बायोमैट्रिक उपस्थिति करवानी होगी। इसका व्यय फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अभाव में फर्म को भुगतान नहीं किया जाएगा।

9. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरी वार्षिक निविदा के अंतर्गत सामान ही रहेंगे परन्तु अपरिहार्य स्थिति में निविदादाता विश्वविद्यालय के मुख्य कुलानुशासक द्वारा स्वीकृति लेकर उस सुरक्षा प्रहरी को परिवर्तित कर सकेगा। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा ड्यूटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त ड्युटी में कम से कम 08 घंटा अर्थात पारी का अन्तर आवश्यक होगा।

10. जॉब कार्य हेतु उपलब्ध सुरक्षा प्रहरी को निर्धारित गणवेश, कैप, बैटरी, लाठी, परिचयपत्र, सीटी, जूते व अन्य आवश्यक सामान निविदादाता को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाना होगा । कार्यालय द्वारा इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। प्रतिदिन निरीक्षण में जितने सुरक्षा प्रहरी बिना उप्रोक्तानुसार निर्धारित ड्रेस कोड एव्न यंत्र के बिना ड्युटी पर पाए जाने पर ड्युटी चार्ज अनुसार सुरक्षा प्रहरी की शास्ती आरोपित की जायेगी।

11. निविदादाता को सुपरवाइजर (दिन एवं रात्रि हेतु) जो की जेसीओ या समकक्ष पद की योग्यता एवं अहर्ता रखते हों को लगाया जाना अनिवार्य होगा जो कि समस्त सुरक्षा प्रहरियों की व्यवस्था एवं नियंत्रण करते हुए सुरक्षा प्रहरियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखेगा तथा प्रतिदिन कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत समय – समय पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा प्रभारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उनके निर्देशन में कार्य करेगा ।

12. प्रत्येक उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरी के **पास डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र** होना अनिवार्य होगा ।

13. अनुमोदित निविदादाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे सुरक्षा प्रहरी का नाम पता, मोबाईल / टेलीफोन नम्बर की स्व–प्रमाणित सूची कार्य शुरू करने की दिनांक को ही अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवानी होगी।

14. डयूटी पर तैनात सुरक्षा प्रहरी सुरक्षा प्रभारी द्वारा सुपरवाईजर को प्रदत डयूटी चार्ट के अनुसार Deployed रहेंगे एवं पदस्थापन/स्थान परिवर्तन /अतिरिक्त ड्युटी आवंटन कुलसचिव की स्वीकृति अनुसार सुपरवाइजर द्वारा किया जा सकेगा ।

15. विश्वविद्यालय में उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरियो द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता, चोरी, अनैतिकता, दुराचार एव अनुशासनहीनता की जाती है अथवा सुरक्षात्मक दृष्टीकोण से किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। जिसकी नियमानुसार क्षतिपूर्ति (खर्चा-हर्जा) निविदादाता द्वारा देय होगा।

16. विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर सुरक्षात्मक व्यवस्था के दृष्टिकोण से अतिरिक्त सुरक्षा प्रहरी लगाने हेतु फर्म द्वारा असहमति व्यक्त करने पर जमा प्रतिभूति राशि ज़ब्त करते हुए निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी । सुरक्षा प्रहरी द्वारा ड्यूटी के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में वनस्पति एवं पेड़ पौधों की सुरक्षा करने की ज़िम्मेदारी सुरक्षा प्रहरियों की होगी भवन, माल की सुरक्षा समस्त जान।

17. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कोई भी सुरक्षा प्रहरी बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, कार्य छोड़ता है या संपादित कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो उसे तुरन्त हटाना होगा एवं उसके स्थान पर 24 घण्टे के भीतर दूसरा सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

18. निविदादाता उपलब्ध करवाये गए सुरक्षा प्रहरी का चाल–चलन, चरित्र अच्छा होना चाहिए, इनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

19. ड्यूटी के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में स्थित समस्त उद्यानों की देखरेख का कार्य एवं समस्त भवनों की छतों पर लगी पानी की टंकियों में पानी की आपूर्ति व टंकियों की देखरेख का कार्य निर्देशानुसार पूर्ण कर सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करेंगे।

<u>निविदादाता द्वारा प्रदत्त सेवा के तहत किये जाने वाले भुगतान संबंधी शर्तें :</u>

20. निविदादाता द्वारा दी जा रही सेवाओं के बिल प्रत्येक माह की 03 तारीख तक संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा निविदादाता के बैंक खाते में होगा। प्रत्येक भवन के भवन प्रभारी द्वारा सुरक्षा प्रहरी की 8 घंटे की संतोषजनक सेवा का सत्यापन एवं सुरक्षा प्रभारी द्वारा बिल का प्रमाणन करने के पश्चात ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

21. निविदादाता द्वारा नियोजित सुरक्षा प्रहरियों को देय भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा । संबंधित निविदादाता द्वारा नियोजित सुरक्षा प्रहरियों के बैंक खातों में जमा करवायी गयी राशि का विवरण विश्वविद्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा । सुरक्षा प्रहरियों के बैंक खातों में जमा करवायी गयी राशि के विवरण बाबत विश्वविद्यालय की संतुष्टी होने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा । कोई शिकायत प्राप्त होने या विवाद पर किये गये भुगतान का विवरण नाम/चैक नम्बर आदि कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

22. प्रस्तुत किए गए बिलों से वैधानिक कटौतियॉ टीडीएस व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जावेगी।

23. कार्य हेतु अनुमोदित राशि का प्रतिमाह भुगतान निविदादाता को ही कार्यालय द्वारा किया जावेगा । कार्य में लगे सुरक्षा प्रहरी किसी प्रकार का भुगतान दावा कार्यालय से मांगने के अधिकारी नहीं होंगे।

24. रैक्सको/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार सुरक्षा प्रहरियों को भुगतान का दायित्य निविदादाता का होगा ।

25. सुरक्षा प्रहरियोां को निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम दर में रैक्सको/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर विश्वविद्यालय द्वारा बढी हुई न्यूनतम दर की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा ।

26. निविदादाता को रैक्सको/राज्य सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपनी समस्त सुरक्षा प्रहिरयों को नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई जमा करवाना होगा जिसमें नियोजित सुरक्षा प्रहरियों की राशि से कटौती एवं निविदादाता का अंशदान शामिल होगा । निविदादाता अपने आगामी बिल के साथ गत माह के पेटे सुरक्षा प्रहरियों के ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा करवाये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा ।

27. निविदादाता द्वारा सुरक्षा प्रहरियों को देय राशि पर जीएसटी की राशि अतिरिक्त रूप से नियमानुसार देय होगी । सभी प्रकार करों को जमा करवाने की जिम्मदारी निविदादाता की ही होगी । निविदादाता द्वारा गत माह में जमा करवाये गये जीएसटी के चालान की प्रति आगामी के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायगी । जीएसटी की राशि जमा करवाये जाने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल तथा जीएसटी का भुगतान नहीं किया जायेगा । उक्त स्थिति में जीएसटी के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।

निविदादाता के दायित्व :

28. रैक्सकों/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम, उपनियम, अधिसूचना एवं दिशा निर्देशो की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा जिनकी पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामो/दायित्वो के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा ।

29. यदि निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये सुरक्षा प्रहरियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।

30. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति मुआवजा देने/ईएसआई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविददाता को होगा इसके लिये विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

31. समस्त कानूनी दायित्व सेवा उपलब्ध करवाने वाली निविदादाता ऐजेन्सी की होंगे विभाग का इस बाबत् कोई दायित्व नहीं होगा।

32. वित्तीय बोली में समान दरें प्राप्त होने पर कमेटी को किसी बोलीदाता की दरों को अनुमोदित करने या नही करने का पूर्ण अधिकर होगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय कमेटी का होगा जो सर्वमान्य होगा। बाोली कमेटी किसी भी शर्त हेतु आंशिक/पूर्ण छूट (Relaxation) देने में सक्षम होगी। RTPP Act 2012की धारा 2(13) के अनुसार उपापन समिति द्वारा बिना किसी वैध प्रतिफल के न्यूनतम बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। विश्वविधालय से संबंधित अत्यन्त आवश्यक सेवाये होने के कारण अलाभप्रद व अव्यावहारिक बोली स्वीकार नही की जायेगी। निविदादाता सर्विस चार्ज भरते समय आयकर TDS की कटौतियो का ध्यान रखेगें।

33. निविदादाता द्वारा कार्यस्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेगें जिन पर निविदादाता का नाम, संविदा अवधि, कार्य प्रगति, सुरक्षा प्रहरियों हेतु हेल्प लाइन नं0 एव निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर अनुसार भुगतान नही करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा ।

34. राज्य में लागू सुरक्षा प्रहरयो के नियमों के अंतर्गत अपने समस्त सुरक्षा प्रहरियों का ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई राशि जमा करवाने का दायित्व निविदादाता का होगा ।

विश्वविद्यालय के अधिकार

35. यदि निविदादाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित दर अनुसार भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय इस संबंध में निविदादाता के विरुद्ध सभी प्रकार के वैधानिक कानूनी नियमों के अनुसार/ कार्यवाही करेगी एवं निविदादाता को Debar करने की कार्यवाही करेगी ।

36. निविदादाता अनुबंधित अवधि में सेवा प्रदाय करने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी सिक्योरिटी/परफोर्मेन्स राशि जब्त करते हुए निविदादाता का आदेश/अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए सेवा प्रदाय ऐजेन्सी की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर द्वितीय न्यूनतम दरदाता से प्राप्त दर पर उससे या अन्य ऐजेन्सी से प्रचलित बाजार दर पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विभाग द्वारा ले ली जावेगी जिसके समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

37. निविदा दाता /सेवाएं किसी अन्य को सबलेट/हस्तान्तरण किसी भी स्थिति में नहीं करेगा, यदि ऐसा पाया जाता है तो अनुबंध/आदेश को बिना किसी सूचना के रद्द/निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

38. निविदादाता को दर अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में बकाया प्रतिभूति राशि **एवं अनुबंध किया जाना एवं** आदेशानुसार प्रत्येक सुरक्षा प्रहरी को एकमुश्त पदस्थापन हेतु **साक्षात्कार करवाया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा धरोहर राशि जब्त करते हुये फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी** । साक्षात्कार की दिनांक एवं समय पृथक से विश्विद्यालय द्वारा सूचित कर दिया जावेगा।

39. क्रयादेश अनुबंधों की शर्तो को "भंग" करने या संविदा के असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति धनराशि जब्त करा ली जावेगी इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

40. किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने, किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा । निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा किसी भी समय निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित हैं ।

41. सफल निविदा दाता को नियमानुसार राशि 500/- रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध एसआर–17 पर करना होगा । जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उसे कार्य की कुल राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति जमा राशि के रूप में नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराना होगा, जो कार्य संतोषजनक पूर्ण होने तक विश्वविद्यालय के पास जमा रहेगी तथा इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य करने में असमर्थता प्रकट करने पर धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि उस स्थिति में यह कार्य बाह्य एजेंसी द्वारा करवा लिया जावेगा एवं विश्वविद्यालय को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति दोषी फर्म को करनी होगी।

42. प्राप्त निविदाओं या उनकी दरों तथा अन्य शर्तो को मानने या न मानने का अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

धरोहर राशिः–

43. निविदा के साथ धरोहर राशि के 100000/– रूपये बैंकर चैक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा होनी चाहिये जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।

44. धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकारों को करार के समय अनुमानित लागत मूल्य की पॉच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

45. राजस्थान के लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को निदेशक उद्योग विभाग द्वारा जारी किए पंजीयन प्रमाण–पत्र, क्षमता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत धरोहर राशि ली जाएगी तथा आदेशित मूल्य 1 प्रतिशत प्रतिभूति राशि ली जावेगी।

46. केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

47. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

    A. जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
    B. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
    C. जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
    D. जब सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में कार्मिक उपलब्ध नहीं करवाता है।
    E. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशिः–

48. किसी भी निविदा को स्वीकार करने में कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम दर की निविदा हो। विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की इच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में मात्रा या कार्यादेश में पचास प्रतिशत तक की वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।

49. सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के सात दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी:–

(i) जिसमें निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि 500/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार सात दिवस में निष्पादित करना होगा।

(ii) संविदा के यथावत कियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट द्वारा सात दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को कय आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को निर्धारित वर्णित सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सफल निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iii) निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढ़ंग से पूरा करने पर केता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

(iv) प्रतिभूति राशि बिलों का अंतिम भुगतान हो जाने एवं समस्त संबंधितों से संतोषप्रद कार्य की सूचना प्राप्त होने एवं संविदा की कार्यावधि पूर्ण होने के पश्चात् के धरोहर/प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

(v) धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्जेज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।

50. कार्य की प्रकृति के आधार पर लागू होने वाले समस्त नियम–कानूनों की पालना ठेकेदार को करनी होगी।

51. संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को माननीय कुलपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

भुगतानः–

52. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

53. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):– परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जायेगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:–

A. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5%
B. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक –5%
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

C. विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु –7.5%
विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए

D. विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए–10%

E. विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा ।

F. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10%होगी।

G. यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

H. यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

54. समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा सीकर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जा सकती।

55. उपापन अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने, किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।

56. अर्नेस्टमनी**,** निविदा शुल्क, तथा ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

57. प्राप्त निविदाओं या उनकी दरों तथा अन्य शर्तो को मानने या न मानने का अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

58. निविदा में वाछिंत प्रपत्रों को स्कैन कर अपलोड करना आवश्यक है ।

59. निविदा ई–प्रोक्योरमेंट साइट से डाउनलोड करके, हस्ताक्षर करके मय आवश्यक प्रपत्रों के स्कैन कॉपी स्कैन करके ई–प्रोक्योरमेंट साइट पर उपलब्ध करवानी होगी व वित्तीय बिड इसी साइट उपलब्ध वितिय बिड शीट में ऑनलाइन अंकित करनी होगी । वित्तीय बिड को स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाना है । भौतिक रूप से निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।

60. विश्वविद्यालय की वेबसाइट व sppp पोर्टल पर भी निविदा डाउनलोड/अपलोड नहीं की जा सकेगी। उक्त दोनों वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र मात्र अवलोकनार्थ डाले गये है ।

61. सुरक्षा प्रहरीयो को निर्धारित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुयी न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा।

62. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। नियोजित सुरक्षा प्रहरीयो को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

63. वित्त विभाग (G&T) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/ 2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जावेगा, अतः प्लेसमेन्ट एजेन्सी इस उपापन हेतु पात्र नहीं होगी।

64. किसी भी प्रकार की तकनीकि शर्तो मे आर0टी0टीपी0 एक्ट के तहत शिथिलता प्रदान करने की शक्तिया कार्यालय की उपापन समिति मे निहित होगीं।

65. बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

66. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो एवं उपरोक्त बिन्दुओं को पढकर हस्ताक्षर कर दियें है। हम इनका पूर्ण रूप से पालन करनें के लिए सहमत है ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

निविदा घोषणा पत्र

खुली निविदा की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में खुली निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/ उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा ''अधिनियम'' की धारा 46 एवं ''नियम'' के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

मुझे/हम यह घोषणा करते है कि निविदा प्रपत्र में संलग्न विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रेशन संबंधी सभी प्रकार के दस्तावेज सही है तथा संबंधित विभागो द्वारा नियमानुसार जारी किये गये है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्त किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

ब्लेक लिस्टेड न होनें का प्रमाण–पत्र

मैं/हम..
........शपथ पूर्वक घोषण करते है कि मुझे/हमारी संस्था.. को किसी भी संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया हुआ है। यदि ऐसा पाया जाता है तो हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर निविदादाता

अनुलग्नक–"अ"

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक..................दिनांक......................के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्षें में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : ....
तारीख : ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............. कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............. **प्रबंध बोर्ड सदस्य** पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

1. यदि केाई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था केाई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी केा, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

   परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया हैः

   परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव श्रीध विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।

2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।

3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।
   अर्थातः
   कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण
   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
   ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण
   ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।

4. **अपील का प्रारूप.–**

(1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2)प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3)प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. **अपील फाइल करने के लिए फीस.–**

(1)प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2)फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–**

(1)प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :..

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :...

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii)

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

....

....

....

. (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना : ....

....

....

स्थान : ....

तारीख : ....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो,

संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.–**

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील